राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 4722/2022

प्रवीश दीप सैनी **–अपीलार्थी**

बनाम

1. जयपुर विद्युत निगम लिमिटेड कार्यालय, विद्युत भवन, जनपथ, ज्योति नगर, जयपुर–302005 मुख्य लेखा अधिकारी (एफएम–डब्ल्यू एंड एम) जयपुर–302005।
2. सचिव (प्रशासन), जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड कार्यालय, विद्युत भवन , जनपथ, ज्योति नगर।
3. अधीक्षक अभियंता, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड जयपुर डिस्कोम, जयपुर।
4. कार्यकारी अभियंता (सर्तकता), जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड जेपीडी, अलवर।
5. श. लोकेश जैन, कनिष्ठ लेखाकार एक्सईएन (सर्तकता) जेपीडी, अलवर में अपीलार्थी के स्थान पर स्थानान्तरित।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 15.09.2022
आदेश की दिनांक : 03.11.2022

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री राजीव कुमार, अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य(न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

1. मामलें की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करते हुए उक्त अपील की सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत अपील में वर्णित तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलार्थी वर्तमान में कनिष्ठ लेखाकार, कार्यालय कार्यकारी अभियंता (सतर्कता), जयपुर डिस्कॉम, अलवर (राजस्थान) में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 06.09.2022 (अनुलग्नक–1) द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापित स्थान से कार्यालय एईएन के पद पर (ओ एंड एम) जेपीडी, खैरथल अलवर में बिना किसी प्रशासनिक आवश्यकता के किया गया है। अपीलार्थी का कथन है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति कनिष्ठ लेखाकार के पद पर वर्ष 2013 में हुई थी। अपीलार्थी का अभिकथन है कि अपीलार्थी का स्थानान्तरण एक वर्ष की अल्प अवधि में ही कर दिया गया है तथा अपीलार्थी के पिता गंभीर पार्किंसंस रोग

से पीड़ित है और ओम अस्पताल भिवाड़ी, अलवर में लगातार उनका इलाज चल रहा है, इसलिए अपीलार्थी के लिए वर्तमान पदस्थापन स्थान से दूर जाना बहुत मुश्किल है तथा अपीलार्थी का तर्क है कि अपीलार्थी अपने परिवार में केवल एक पुरूष सदस्य है और उसके परिवार में देखभाल के लिए अन्य कोई सदस्य नहीं है। उनका स्थानान्तरण असक्षम अधिकारी द्वारा किया गया है जो अनुचित एवं विधि विरूद्ध है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार कर आलोच्य स्थानांतरण आदेश दिनांक 06.09.2022 (अनुलग्नक–1) को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त करते हुए प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित करे कि अपीलार्थी को कनिष्ठ लेखाकार, कार्यकारी अभियंता (सर्तकता) के पद पर जयपुर डिस्कोम, अलवर में कार्य करने दिया जावे तथा उसके कार्य में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करें।

3. हमने अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता को अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र पर सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

4. प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग के अधीन कनिष्ठ लेखाकार, कार्यकारी अभियता (सर्तकता), जयपुर डिस्कोम, अलवर में कार्यरत है। प्रशासनिक आवश्यकताओं में कार्मिक की सेवाएं किस स्थान पर ली जानी है, इसके निर्णय का अधिकार प्रत्यर्थी विभाग को है। सेवाविधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि स्थानान्तरण सेवा का एक अभिन्न तत्व होता है। स्थानान्तरण करना नियोक्ता का अधिकार है और अपीलार्थी का स्थानान्तरण सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया है, इस कारण स्थानान्तरण आदेश में हस्तक्षेप करना उचित नहीं है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने **शिल्पी बोस बनाम बिहार राज्य** (**ए.आई.आर. 1991 एस.सी. 532**) के प्रकरण में राजकीय कार्मिकों के स्थानान्तरण के विषय में निम्न प्रकार अवधारित किया है :–

> *"In our opinion, the Courts should not interfere with transfer orders which are made in public interest and for administrative reasons unless the transfer orders are made in violation of any mandatory statutory rule or on the ground of malafide. A Government servant holding a transferable post has no vested right to remain posted at one place or the other, he is liable to be transferred from one place to the other. Transfer orders issued by the competent authority do not violate any of his legal"*

5. अपीलार्थी ने अपनी अपील में स्थानान्तरण से होने वाली पारिवारिक परेशानियों का उल्लेख किया है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **मध्य प्रदेश राज्य बनाम एस.एस. कौरव ((1995) 3 एस.सी.सी. 270)** के निर्णय में निम्न सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है :–

"This court cannot go into the question of relative hardship. It would be for the administration to consider the facts of a given case and mitigate the real hardship in the interest of good and efficient administration. If there is any such ha rdship, it would be open to the respondent to make a representation to the Government and it is for the Government to consider and take appropriate decision in that behalf."

अतः इस संबंध में हमारे मत में स्थानान्तरण के परिणामस्वरूप होने वाली इस तरह की कठिनाइयों के आधार पर स्थानान्तरण आदेश में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है।

6. उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के इसी प्रक्रम पर खारिज की जाती है।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य(न्यायिक)